युवा अपराध में घर एवं परिवार की भूमिका

डॉ० अशोक कुमार*

व्यक्ति के व्यक्तित्व के प्रारम्भिक एवं मूल लक्षणों का निर्माण परिवार में होता है तथा उसके जीवन पर परिवार का गहन प्रभाव पड़ता है। परिवार बालक के जीवन के प्रथम पाँच वर्षों में उसका समस्त सामाजिक पर्यावरण प्रदान करता है तथा एक अच्छी मात्रा में बाद में भी आने वाले कई वर्षों में पर्यावरण प्रदान करताहै। यह मानवीय व्यक्तित्व का गर्भाशय है। इस छोटे से प्राथमिक समूह को राज्य अपने भविष्य के नागरिकों की उनके जीवन के अत्यन्त निर्माणात्मक वर्षों में प्रारम्भिक देखभाल एवं प्रशिक्षण का उत्तरदायित्व देता है। इससे घर एवं परिवार हमारे कुल सांस्तिक आदर्शों का केन्द्र बन जाते हैं। इसके विपरीत परिवार के अपराधिक आचरण का प्रत्यक्ष परिणाम बालकों के अपराध के रूप में प्रकट होता है। जिन घरों व परिवारों से अपराधी बालक आते हैं, उन घरों व परिवारों की सामान्य विशेषताएं निम्नलिखित है :–

(क) परिवार के कुछ सदस्य अपराधिक, अनैतिक तथा मद्यात्ययी होते हैं,

(ख) मृत्यु, तलाक अथवा परित्याग के कारण माता–पिता में से किसी एक का अथवा दोनों का अभाव रहता है,

(ग) अनभिज्ञता, अंधापन, बीमारी अथवा संवेदनात्मक खराबियों के कारण माता–पिता के नियंत्रण का अभाव रहता है,

(घ) घर की अनुकूलता जैसे किसी एक सदस्य का प्रभुत्व, पक्षपात, अत्यधिक व्यस्तता, अत्यधिक कठोरता, उपेक्षा, ईर्ष्या, भीड़भाड़ से युक्त स्थितियाँ, अधिक हस्तक्षेप करने वाले सम्बन्धियों का बाहुल्य, गृह की

(ङ) प्रजातीय या धार्मिक विभिन्नताएँ, परम्पराओं एवं मानदण्डों में विभिन्नताएँ अथवा संस्थात्मक गृह,

(च) आर्थिक दबावों, जैसे बेरोजगारी, अपर्याप्त आय, घर से बाहर कार्य करने वाली माँ ।

उपर्युक्त विशेषताओं से युक्त परिवारों के अधिकांश बालक अपराधोन्मुख रहते हैं।

(i) घर में अपराधिता (Criminality in the Home) – परिवार के अपराधिकीय आचरण का प्रत्यक्ष परिणाम बालकों के अपराध के रूप में प्रकट होता है। सीरिल बर्ट ने इंग्लैण्ड में किये गये अपने अध्ययन से यह सिद्ध किया है कि पापाचार, एवं अपराध अनापराधिक परिवारों की तुलना में अपराधिक परिवारों में पाँच गुना अधिक होता है।

ग्लुक दम्पति ने मैसाचुसेट्स सुधारालय से मुक्त अपराधियों में 84.8 प्रतिशत को ऐसे परिवारों से सम्बन्धित पाया जिनमें अन्य अपराधी वर्तमान थे। उन्होंने 86.7 प्रतिशत बाल अपराधियों तथा 80.7 प्रतिशत महिला अपराधियों को भी ऐसे ही परिवारों से सम्बन्धित पाया था। ग्लुक दम्पत्ति ने एक अध्ययन में 500 अपराधी बालकों तथा 500 अनापराधी बालकों के तुलनात्मक परीक्षण में यह पाया कि प्रथम कोटि के 90.4 प्रतिशत घरों में मद्य सेवन, अपराध, अनैतिकता वर्तमान थी जबकि द्वितीय कोटि के मात्र 54 प्रतिशत घरों में ही ऐसे दुराचार एवं अपराध पाये गये हैं।

(ii) भग्न परिवार (The Broken Home)–माता–पिता में से किसी एक की मृत्यु, तलाक या परित्याग के कारण किसी एक का अभाव अथवा दोनों का अभाव बाल–अपराधिता का एक प्रमुख कारण माना गया है । अनुसंधान प्रतिवेदनों के अनुसार 30 से 60 प्रतिशत बाल–अपराधी भग्न परिवार के सदस्य पाये गये हैं। बहुधा बालिकाएँ अधिक अपराधी हो जाती हैं। थामस पी. मोनाहन के सर्वेक्षण से ज्ञात होता है कि गोरों की अपेक्षा नीग्रो संततियाँ ऐसे परिवारों के कारण अधिक अपराधशील हो जाती हैं।

(iii) विजनन माता–पिता–अपराधिता की वृद्धि करने के सन्दर्भ में विजनन माता–पिता का भी पर्याप्त उल्लेख अपराधशास्त्रीय साहित्य में उपलब्ध है। इनका उल्लेख इसलिए नहीं किया गया है कि वे सामान्यतः निर्मम व कठोर होते हैं और बालक–बालिकाओं के प्रति सजग नहीं रहते बल्कि इसलिए कि उनके प्रति वे पूर्वाग्रहीतहोते हैं। यह सही है कि विजनन पिता अपनी विजनन पुत्रियों के साथ लैंगिक व्यभिचार करते हैं क्योंकि कौटुम्बिक व्यभिचार की मनोवैज्ञानिक ग्रन्थि उन्हें ग्रसित नहीं करती है और विमाताएँ साधारणतः कठोर होती हैं और संसार में इस तथ्य को प्रमाणित करने वाले .ष्टान्त भरे पड़े हैं। माता से दीर्घकालीन विलगाव विशेषतः बच्चों के प्रथम पाँच वर्षों की अवधि में घटित होने वाले विलगाव भी अत्यन्त हानिकारक होते हैं। स्नेह से वंचित बच्चे किसी भी उपचार को ग्रहण नहीं कर पाते हैं। खानों, दतरों या दुकानों में काम करने वाली माताओं से विहीन परिवार भी अपराधोन्मुख होते हैं। आधुनिक काल में महिलाएं अधिक से अधिक जीविकोपार्जन करने लगी हैं। ग्लुक दम्पत्ति ने इस पक्ष का गहन अध्ययन कर यह प्रमाणित किया है कि माताओं की अनुपस्थिति अपराधिता का जनन करती है।

(iv) अवैध सन्तान एवं अपराध (Illegitimate Children and Crime)–अवैध सन्तान के साथ जो लांछन और अन्य सामाजिक, आर्थिक तथा मनोवैज्ञानिक कुण्ठाएं जुड़ी होती है, उनका भी अपराधिता पर प्रभाव पड़ता है। अवैध सन्तानों में मनोह्रास रहता है। यही नहीं अवैध गर्भाधान के कारण ऐसी सन्तानों की हत्या कर दी जाती

***एम०ए०, पी–एच०डी० (समाजशास्त्र) मगध विश्वविद्यालय, बोध गया।**

है या जन्मोपरान्त उस सन्तान का परित्याग कर दिया जाता है अथवा वेश्यावृत्ति का आविर्भाव होता है या गर्भपात कराया जाता है। अनेक .ष्टान्तों में यह पाया गया है कि पिता के न रहने के कारण ऐसे बालकों में सुरक्षाबोध का हनन होता है और माता–पिता के प्रति भी आक्रोश बना रहता है और ऐसे बाल–अपराधी उपचार को स्वेच्छा से ग्रहण भी नहीं करते।

(अ) समस्याग्रस्त परिवार (Problemetic Family)–सामान्य संरचित, भग्न तथा अवैध सन्तानों से युक्त परिवारों के अतिरिक्त कुछ ऐसे भी परिवार होते हैं जो सामान्यतः समस्या प्रधान परिवार कहलाते हैं । समाज के निम्न स्तर का प्रतिनिधित्व करने वाले इन परिवारों के जो लक्षण होते हैं, वे हैं मन्द बुद्धि, अपरिपक्वता, स्वार्थपरता, क्षीण स्वास्थ्य, अल्प तथा अस्थिर आय और संकुल आवास, सन्ततियों पर निगरानी बरतने में अक्षमता, अल्प आय का मद्यपान आदि पर व्यय इत्यादि । यह सम्भव है कि ये सभी लक्षण किसी एक परिवार में विद्यमान न हो परन्तु अधिकतर इनमें कई लक्षण सामान्यतः विद्यमान रहते हैं । ऐसे 52 परिवारों के मूल्यांकन के पश्चात् हैरियट विल्सन ने यहाँ तक कह डाला है कि अपराध गृह–केन्द्रित होता है न कि क्षेत्र केन्द्रित ।

इस सन्दर्भ में टप्पन महोदय ने अपनी पुस्तक क्राइम, जस्टिस एण्ड करेक्शन में यह उल्लेख किया है कि जहाँ एक ओर यह सर्वमान्य रहा है कि अव्यवस्थित, भग्न एवं विपन्न परिवार अपराधिता के जनन में सहायक होते हैं, वहाँ दूसरी ओर यह भी मान्य रहा है कि व्यवस्थित तथा साधन–सम्पन्न परिवार भी अपराधिता को उत्पन्न करने में समान रूप में उत्तरदायी हैं। प्रायः साधन सम्पन्न परिवारों के माता–पिता दोषी होते हैं। वे बच्चों से अत्यन्त बढ़े–चढ़े भौतिकस्तर की अपेक्षा करते हैं और उनके लिए ऐसे लक्ष्य निर्धारित करते हैं जो उन्हें अपराध की ओर उन्मेषित कर देते हैं। यही नहीं, बल्कि साधनों से सम्पन्न होने पर भी माता–पिता का बच्चों से भावात्मक समन्वय नहीं हो पाता है, परिणामतः बच्चे भारस्वरूप प्रतीत होने लगते हैं और कालान्तर में ऐसे माता–पिता बच्चों के विकास से आँखें मूंद लेते हैं या साधनों की विपुलता में ही बच्चों को एक प्रकार की छूट मिल जाती है और प्रौढ़ होने पर ये बन्धनमुक्त सा हो जाते हैं और विधि–विधानों को नहीं मानते हैं। इसके लिए आधुनिक सभ्यता के मानमूल्य विचारधारा तथा उन्मुक्तता के आदर्श भी उत्तरदायी हैं। उच्च वर्गों के सदस्यों में अपराधिता भी एक भिन्न रूप ग्रहण कर लेती है और अधिकांशतः व्यावसायिक, व्यापारिक तथा आर्थिक अपराध होते हैं।

(vi) अनुशासन एवं प्रशिक्षण (Discipline and Training)–अनुशासन और प्रशिक्षण के सन्दर्भ में सिरिल बर्ट का मत है कि ऐसे घर जहाँ बालक अनुशासित एवं प्रशिक्षित होते हैं, वहाँ बाल अपराधिता उन घरों की अपेक्षा कम होती है, जहाँ बालक अनुशासित तथा प्रशिक्षित नहीं रहते। अनुशासन निम्न प्रकार से दोषपूर्ण

होता है –

(1) माता–पिता का बालक के अनुशासन पर ध्यान न देना ।

(2) माता–पिता की शारीरिक, बौद्धिक अथवा नैतिक कमजोरी जिससे बालक का अनुशासन कमजोर होता है।

(3) माता–पिता के अभाव से अनुशासन में कमी आ जाती है।

(4) बालकों के नियन्त्रण में एकरूपता के अभाव से बालक अनुशासनहीन हो जाते हैं।

(5) अत्यधिक कठोर अनुशासन भी बालक को अनुशासनहीन बनाता है।

बर्ट के अनुसार अनुशासन का महत्त्व गरीबी की अपेक्षा चार गुना अधिक है। सदरलैण्ड के अनुसार घर का अनुशासन उपेक्षा के कारण बिगड़ता है। बहुत से घरों में बालकों के प्रशिक्षण व नियंत्रण पर बहुत कम ध्यान दिया जाता है। आप्रवासियों के बच्चे तथा पोषण–गृहों में पलने वाले बच्चे अनुशासनहीन व अप्रशिक्षित माने गये हैं।

(vii) अपराधिता एवं सामान्य पारिवारिक प्रक्रियाएँ (Criminality and General Familial Processes)–घर एवं परिवार की दशाओं एवं अपराधिता के सम्बन्ध में पूर्ववर्ती विश्लेषण से निम्नलिखित प्रमुख प्रक्रियाएं स्पष्ट होती हैं –

(1) एक बालक घर के भीतर माता–पिता तथा अन्य सम्बन्धियों की अभिवृत्तियों, संहिताओं तथा अपराधिक व्यवहारों प्रतिमानों को आत्मसात कर लेता है। वह अपराधी इसलिए बन जाता है क्योंकि घर में ही वहअपराध करना सीख लेता है।

(2) घर यदि अपराध–बहुल क्षेत्र में स्थित होता है तो बालक अपराधिक व्यवहार करना आसानी से सीख लेताहै और घर यदि निम्न सामाजिक आर्थिक वर्ग से सम्बन्धित है तो बालक समाज के उच्चवर्गीय मूल्यों को अस्वीकार करता है और अपराधोन्मुख हो जाता है।

(3) समाज में बालक की प्रतिष्ठा उसकी गृह दशा पर ही सुनिश्चित की जाती है। घर की प्रतिष्ठा के आधारपर बालक समाज में अपना साहचर्य पाता है। अच्छा साहचर्य न मिलने पर वह अपराधोन्मुख हो जाता है।

(4) घर की दुःखदायी स्थितियों व अनुभवों से बालक घर छोड़कर भाग सकता है। बाहर उसे अपराधिक समाजमिल सकता है और वह उस समाज का सदस्य बनकर अपराध की ओर उन्मुख हो जाता है।

(5) घर कभी–कभी बालक को ऐसा व्यवहार प्रशिक्षण देने में असफल रहता है जिससे कि वह विधि सम्मतव्यवहार करे अथवा विधि का सम्मान करना जाने । ऐसी स्थिति में भी बालक कानूनोल्लंघन का कार्य करसकता है और अपराधी की श्रेणी में आ जाता है ।

(6) आज्ञाकारिता की आदत न पड़ने के कारण बालक समाज के मूल्यों की उपेक्षा कर मनमानी करता है औरअपराध की तरफ अभिमुख हो जाता है।

(7) घर के अन्दर मनोवैज्ञानिक तनाव तथा संवेगयुक्त व्यवधान भी बालक को अपराधी बनाते हैं। घर के अन्दरभेदभाव, अस्वी.ति, असुरक्षा, रूखापन, चिड़चिड़ापन व कठोरता आदि स्थितियाँ बालक में मानसिक तनाव उत्पन्न करती हैं। ऐसे गृहों में तथा गृह के ऐसे पर्यावरण में बालक एक समस्यायुक्त बालक बनजाता है और वह अपराधिता की ओर उन्मुख हो जाता है।

(8) एक ही घर में रहने वाला एक बालक अपराधी बन सकता है तो दूसरा अनापराधी ही रह सकता है।वस्तुतः अपराधिता निर्भर करती है बालक के अन्तः में समाहित संस्कारों पर । अपराधिक मोड़ पर आकर भी एक बालक अपराधी नहीं बनता परन्तु दूसरा बन जाता है।

(9) कुछ अनुसंधानों के परिणामों से यह भी ज्ञात हुआ है कि ऐसे बालक जिनके छोटे व बड़े भाई तो हैं, किन्तु बहनें नहीं हैं, वे अपराधोन्मुख होते हैं। लेकिन ठीक इसके विपरीत ऐसी बालिकाएँ जिनके भाई नहीं हैं, परन्तु बहने ही हैं अपराधोन्मुख नहीं होती हैं । बालकों की स्थिति यहाँ भी ठीक इसके विपरीत है । ऐसे बालक जिनके मात्र बहनें ही हैं, भाई नहीं हैं अपराधोन्मुख नहीं होते । भगिनी–विहीन बालिकाएँ जहाँ अपने भाइयों की अपराधिता सीखती हैं, वहीं भाई विहीन बालक अपनी बहनों की सदाचारिता सीखता है। स्लेटो महोदय ने अपने अध्ययन परिणामों से इस सम्बन्ध में यह भी निष्कार्ष निकाला है कि सामाजिक सम्बन्ध अपराधिता के प्रमुख कारण हैं।''

(10) कुछ अपराधशास्त्रियों ने यह भी प्रमाणित करने का प्रयास किया है कि ''अकेला बालक'' (जैम वदसलबिपसक) अपराधिता की ओर उन्मुख होता है, किन्तु न्ये (छलम), वट्टेनवर्ग (जजमदइमतह) आदि लेखकों ने अपने अध्ययन परिणामों से यह निष्कर्ष निकाला है कि "अकेला बालक'' होना मात्र अपराधिाता का कारण नहीं है। यह किसी भी बालक की उस सामाजिक स्थिति पर निर्भर करता है जिसमें रहकर वह अपराधिता का संसर्ग करता है।

संदर्भ सूची

1. Cyril Burt : The yong delingnent, Fouth Edition, University of London Pres,, London, 1944.
2. Sheldon and Eleanor + Glueck. : Five Hundred criminals careers, New York, 1930

दलित जातियाँ एवं सरकारी प्रयास

अनिता कुमारी*

भारत सरकार अधिनियम, 1935 द्वारा कुछ जातियों को अनुसूचित किए जाने के पहले इन जातियों को 'बाह्य' (म्गजमतपवत) या 'दलित' (क्मचतमेमक) माना जाता था। किसी भी जाति को बाह्य या दलित मानने का आधार सामाजिक अयोग्यता एवं उसपर लागू होनेवाले प्रतिबन्ध थे। 1931 की जनगणना में इनके लिए निम्नलिखित अंकित प्रतिबन्ध थे.– (1) ब्राह्मणों के सन्सर्ग से वर्जना, (2) हिन्दू उच्च जातियों की सेवा करनेवाले नाई, मिस्त्री, दर्जी आदि की सेवाओं से वंचित रखना (3) उच्च जाति के हिन्दुओं को पानी पिलाने पर प्रतिबन्ध, (4) हिन्दू मन्दिरों में प्रवेश पर प्रतिबन्ध(5) सार्वजनिक सुविधाओं जैसे– मार्गों, नावों, कुओं या विद्यालयों आदि के उपयोग पर प्रतिबन्ध और (6) हेय या निकृष्ट पेशों से जुड़े रहने की बाध्यता।

संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष भीमराव आम्बेडकर दलितों के अधिकारों के संघर्ष का अग्रणी नेता थे और दलितों के अधिकारों सम्बन्धी उनके सभी सुझावों को संविधान में स्थान प्राप्त हुआ। आम्बेडकर ने आधुनिक में विशेषकर स्वतन्त्रता संघर्ष में अहम भूमिका अदा की। अनुसूचित जातियों ने व्यापक स्तर पर स्वतन्त्रता संघर्ष में लिया और शनैः–शनैः इस प्रक्रिया ने उन सुधारवादी आन्दोलनों का रूप धारण किया, जिन्होंने छुआछत की परम्परा तथा अनुसूचित जातियों के विरुद्ध होनेवाले शोषणों तथा दुर्व्यव्यहारों के विरुद्ध संघर्ष किया ।

भारतीय संविधान के लागू हो जाने के साथ ही अनुसूचित जातियों को कुछ सुनिश्चित अधिकार एवं लाभ प्राप्त हुए। अनच्छेद 341 (1) के तहत राज्य के राज्यपाल की सलाह से संविधान यह तय करेगा ''कौन–सी जातियों, जनजातियों अथवा जातीय या जनजातीय समूहों को संवैधानिक मकसद से अनुसूचित नहीं किया जा सकता।'' लेकिन अनुच्छेद 341 (2) के तहत संसद विधि पारित करके किसी भी जातीय समूह को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल कर सकती है या उससे अलग कर सकती है।

सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े होने के नाते अनुसूचित जातियों को विशेष संवैधानिक सुरक्षा प्राप्त है। अनुच्छेद 46 के तहत यह राज्य की जिम्मेदारी है कि वह पिछड़े वर्गों, खासकर अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के

***शोध छात्रा (समाजशास्त्र) मगध विश्वविद्यालय,बोध गया**